

**अनुमति की शर्तें ।**

- (A) उक्त भवन/सुधारों के निर्माण की स्वीकृति आवेदन किए नहीं जाती है ।
- (B) किसी भी प्रकार का निवार (विद्युत, वायुमय, आदि) लागू होने की दिशा में निगम का कोई पर्यवेक्षण नहीं होगा तथा न ही निगम किसी स्वीकृति के लिए उत्तरदायी होगा ।
- (C) भवन निर्माण कार्य प्रारम्भ करती ही आवेदन निगम को लुप्त होगा ।
- (D) स्वीकृत भवनों के विपरीत निर्माण पाये जाने पर स्वीकृत निरस्त की जा सकती है ।

**एक किस्की केवल आवासीय संयोजनार्थ**

**कार्यालय नगर निगम, जोधपुर**

आवेदन क्रमांक 864 दिनांक 25/11/2021

**प्राचीया श्रीमती सुयूर मोहंती जी एवं (२) श्री श्रीवृण्डा जी**

ने राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 2009

धारा 194 (7) (घ) के तहत आवासीय

भवन निर्माण हेतु मानचित्र कार्यालय में पेश

कर स्वनिर्धारण राशि रुपये 21100/- जमा

जरिये रसीद संख्या 9069/519/513

दिनांक 25/11/2021 को जमा करा ही है ।

र. 100: 84 पत्रि अगत की कीही विचार

जी. 1.  
आवासीय

25/11/2021

सहायक नगर नियोजक,  
नगर निगम, जोधपुर

प्राज्ञ मिश्रा  
1825024  
9413873813